



2026:AHC:177697

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या - 6114 वर्ष 2026

लक्ष्मण

.....आवेदनकर्ता(गण)

बनाम

उ. प्र. राज्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदनकर्ता(गण) के अधिवक्ता : चक्रवर्ती सिसोदिया, हेमंत शर्मा

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : जी.ए., जितेन्द्र पाल सिंह जादौन

न्यायालय संख्या - 67

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के अधिवक्ता श्री हेमंत शर्मा, राज्य की ओर से एजीए श्री बी.पी. मौर्य और शिकायतकर्ता के अधिवक्ता श्री जे.पी.एस. जादौन की बातें सुनीं।

2. यह ज़मानत प्रार्थना-पत्र आपराधिक वाद संख्या 527/2025 (बीएनएस की धारा 69, 89, 352, 351(3) के तहत, थाना सादाबाद, ज़िला हाथरस) में विचारण के दौरान आवेदक को ज़मानत पर रिहा करने की मांग के साथ दायर की गई है।

3. आवेदक के अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फँसाया गया है। बीएनएस की धारा 183 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान को देखने पर ऐसा लगता है कि वह आवेदक से शादी करना चाहती है और इसके लिए अपना धर्म बदलने को भी तैयार है। आगे यह भी कहा गया है कि प्राथमिकी के अनुसार, आवेदक पर आरोप है कि उसने पीड़िता के साथ तब शारीरिक संबंध बनाए थे जब वह 19 साल की थी यानी छह साल पहले। उस पर यह भी आरोप

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



है कि उसने एक वीडियो बनाया और उसे दिखाकर कई बार पीड़िता के साथ बलात्कार किया। अधिवक्ता ने यह भी कहा कि पीड़िता बालिग है और उसकी चिकित्सीय-विधिक आख्या बलात्कार की घटना की पुष्टि नहीं करती है। यह भी बताया गया कि आवेदक 6.12.2025 से जेल में है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अंत में यह कहा गया कि अगर आवेदक को जमानत दी जाती है, तो वह जमानत की आज़ादी का गलत इस्तेमाल नहीं करेगा और विचारण की कार्यवाही में सहयोग करेगा।

4. इसके विपरीत, शिकायतकर्ता के अधिवक्ता और एजीए ने जमानत की मांग का ज़ोरदार विरोध किया, लेकिन ऊपर बताई गई बातों को गलत नहीं ठहरा सके।

5. प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों के अनुसार, कहा जाता है कि आवेदक ने पीड़िता के साथ तब शारीरिक संबंध बनाए जब वह 19 साल की थी। यह भी आरोप है कि उसने बंदूक दिखाकर एक अश्लील वीडियो बनाया और उस वीडियो को दिखाकर कई बार उसके साथ बलात्कार किया। बीएनएसएस की धारा 183 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान को देखने पर पता चलता है कि वह आवेदक से शादी करना चाहती है और इसके लिए अपना धर्म बदलने को भी तैयार है। पीड़िता बालिग है और उसकी चिकित्सीय-विधिक आख्या उसके साथ बलात्कार होने की पुष्टि नहीं करती है। आवेदक 6.12.2025 से जेल में बंद है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्यों, आरोपी की संलिप्तता, जेलों में भीड़ और विचारण न्यायालय में लंबित आपराधिक मामलों की भारी संख्या को ध्यान में रखते हुए; साथ ही **कपिल वधावन बनाम केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो** 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038 मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** 2024 एससीसी ऑनलाइन इला 6765 मामले में इस न्यायालय की जमानत देने संबंधी दिशानिर्देश को ध्यान में रखते हुए, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरी राय है कि आवेदक जमानत पाने का हकदार है।

7. इसलिए, यह आवेदन स्वीकार किया जाता है।

8. उक्त अपराध में शामिल आवेदक - **लक्ष्मण** को जमानत पर रिहा किया जाए, बशर्ते वह संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार उतनी ही राशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानतदार पेश करे, और निम्नलिखित शर्तों का पालन करे:-

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(i) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से कोई लालच, धमकी या वादा नहीं करेगा ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

(ii) आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए, मुकदमे/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेगा।

(iii) जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि या अपराध में शामिल नहीं होगा।

(iv) आवेदक अपने द्वारा भरे गए बंधपत्र की शर्तों के अनुसार पेश होगा।

9. ऊपर दी गई किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।

10. बंधपत्र स्वीकार करने से पहले संबंधित न्यायालय आवेदक और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास के प्रमाण की पुष्टि करेगी। संबंधित न्यायालय आवेदक और जमानतदारों के मोबाइल संख्या और आधार कार्ड की भी पुष्टि करेगी।

11. आगे यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की जल्द रिहाई सुनिश्चित करने के लिए जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई का आदेश भेजेगा।

12. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह बेल देने की नीति रणनीति, स्वतः रिट याचिका (क्रि.) संख्या 4 वर्ष 2021 फैसला 31.01.2023, (2024) 10 एससीसी 685 में दर्ज के मामले में उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए, इस आदेश की एक प्रतिलिपि संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ईमेल या ई-प्रिज़न पोर्टल द्वारा 24 घंटे के भीतर आवेदक को भेजे।

(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

अगस्त 21, 2026

अभिषेक